प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक १५ नवम्बर, 2016

विषय 11वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद-बरेली** में 02 छात्रावास सहित 02 राजकीय पालिटेक्निक, बहेडी के भवन निर्माण की लागतवृद्धि की धनराशि रू0 341.98 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2124/52-1-2016-27(एम0एस0डी0पी0)/13-।।, दिनांक 30.09.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **जनपद-बरेली** में 02 छात्रावास सहित राजकीय पालिटेक्निक, बहेडी के भवन निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1542.73 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2016 को सम्पन्न बैठक में लागतवृद्धि की धनराशि राज्यांश के रूप में वहन करने हेतु निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद-बरेली** में 02 छात्रावास सहित राजकीय पालिटेक्निक, बहेडी के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था **यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ** द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आंगणन रू0 1601.77 लाख पर पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1542.73 लाख के सापेक्ष लागतवृद्धि की धनराशि रू0 341.98 लाख (रू0 तीन करोड़ इक्तालिस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पालिटेक्निक के लिए प्रावधानित बजट रू0 5000.00 लाख तथा अनुपूरक बजट रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष बजट रू0 1989.73 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि में से सिविल वर्क की धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रबन्ध निदेशक, **यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ** को

Unicode Polytechnic G.O

हस्तान्तरित की जायेगी तथा उपकरण/फर्नीचर आदि की धनराशि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को हस्तान्तरित की जायेगी। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही व्यय की जायेगी।

3- प्रायोजनान्तर्गत मशीनरी व उपकरण, डी0जी0 सेट का प्राविधान किया गया है। अत: कार्यदायी संस्था–निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त किया जायेगा। यह प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य हैं। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

4- प्रश्नगत परियोजना हेतु शासन को प्रेषित आंगणन में प्रस्तावित मात्राओं/विशिष्टियों को कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय यथावत् यथावत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

6- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां तथा पूर्णता का प्रमाण पत्र निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जोयगा । तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसकी सूचना शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को दी जायेगी ।

10- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत

Unicode Polytechnic G.O

परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0111-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण (के0 100/रा0 00-के0)-**24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-3040(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।
9- प्रबन्ध निदेशक, **यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पालिटेक्निक का निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

http://shasanadesh.up.nic.in

Unicode Polytechnic G.O

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in